there have been occasions -when the milk and bread could not be supplied due to either non-availability of transport or non-availability of funds or circumstances beyond their control.

The number of beneficiaries is 3,300 in the current year. It was 3900 in 1984-85 and 4300 in 1983-84. The number of centres was reduced by NDMC by clubbing together certain Centres and diverting the existing beneficiaries to those Centres that are not far off from the place of their residence. The number of Centres was 37 last year and is now reduced to 22. This was done to reduce administrative costs.

Allegations against the Vice-Chancellor of the Jawaharlal Nehru University

3079. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL; Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of serious allegations of corruption, nepotism, mal-administartion, favouritism etc. having been levelled by the Jawaharlal Nehru University Staff Association against the Vice-Chancellor of the Jawaharlal Nehru University; and

(b) if so, what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI); (a) Government have not received any Memorandum from the Jawaharlal Nehru University Staff Association containing serious allegations against the Vice-Chancellor of the Jawaharlal Nehru University.

(b) Does not arise.

रेलवे के सम्बन्ध में एक्नामिक एण्ड सोशल कांफ्रेंस फार एशिया एण्डपैसिफिक "एसकैप" की संगोष्ठी की सिफारिशें

3080. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जनवरी, 1985 को हुई "इकनामिक और सोशल कान्फ्रेंस फार एशिया एण्ड पैसिफिक" की संगोष्ठी में रेल पटारयों में सुधार करने के संबंध में चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलों, नई लाइनों, लाइनों को परिवर्तित किए जाने और दोहरी लाइनें बिछाए जाने, सिग्नल प्रणाली तथा परिवहन के विद्युतीकरण और विकास के संबंध में भी चर्चा हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधायें

3081. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कयूल-साहबगंज रेल लाइन को दोहरा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त स्टेशन पर रेलवे डाक्टरों के लिए आवासीय क्वार्टर उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) किऊल और साहिबगंज के बीच केवल कजरा जमालपुर, रतनपुर-सुल्तानगंज तथा सुल्तानगंज भागलपुर (77 कि०मी०) में दोहरी लाइन बिछाने का कार्य स्वीकृत है और प्रगति पर है। इसका पूरा होना आने वाले वर्षों में धनराशि के आबंटन पर निर्भर करेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बरियारपुर स्टेशन पर "लाक अप" किस्म की डिस्पेंसरी है। सहायक चिकित्सा अधिकारी/लाइन इस डिस्पेंसरी में सप्ताह में दो दिन जाते हैं, इसलिए रेलवे डाक्टरों के लिए क्वार्टर की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

टिकटधारी यात्रियों से पैसे वसूल किया जाना

3082. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सतर्कता विभाग को इस बात की जानकारी है कि टिकटधारी यात्रियों से पैसा वसूल किया जाता है और ऐसी घटनाएं विशेष रूप से रात के समय होती है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे में यात्रियों से कुछ धनराशि ले कर उन्हें प्रथम श्रेणी में बिना टिकट यात्रा करने दिया जाता है और इस प्रथा को रोकने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) टिकटधारी यात्रियों को बिना आरक्षण प्राप्त किये अनधिकृत रूप से आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दिये जाने की कुछ घटनाएं रेलों के सतर्कता विभाग के नोटिस में आयी हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में शिकायतों की भली-भांति जांच की जाती है तथा दोषी कर्मचारियों को निवारक दंड दिया जाता है इसके अलावा, इस कदाचार को रोकथाम के लिए निवारक जांच की जाती है तथा अचानक छापे मारे जाते है तथा इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त/दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं। तथापि, इस तरह की कुछ घटनाएं नोटिस में आयी हैं। तथा कभी कभार रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। इस परिपाटी को रोकने के लिए निरन्तर कार्रवाई की जाती है। जिसका ब्यौरा ऊपर (ख) के उत्तर में दिया गया है।

Sheri Louise Slimming Centre

3083. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have made any inquiry about the Sheri Louise Slimming Centre to see whether its advertisements on the use-Ifulness of their slimming programmes were misleading and not based on adequate and proper tests;

(b) whether it is also a fact that several persons who underwent the slimming course developed serious complications; and

(c) if so, what are the details of the inquiry and what action has been taken by Government in the matter?